[illegible]

[illegible]

[illegible] राजेश [illegible]

[illegible] नारायण पिता [illegible]

[illegible] नारायण [illegible]

[illegible] रामचन्द्र पिता [illegible]

[illegible] पार्वतीबाई पिता [illegible]

7. [illegible]बाई पिता [illegible]

8. भागवंतीबाई पत्नी गणेशराम

9. राजू पिता गणेशराम

10. राजेन्द्र पिता गणेशराम

11. [illegible]नारायण पिता प्रेमकुमार

12. [illegible]बाई पति प्रेमकुमार

13. [illegible] पिता प्रेमकुमार

14. सविता पिता प्रेमकुमार

15. राधा पिता प्रेमकुमार

16. पार्वतीबाई पत्नी नारायण

17. [illegible] पिता नारायण

18. [illegible] नारायण

19. [illegible] पिता नारायण [illegible]

[illegible] म.प्र. ...... [illegible]

विरुद्ध

1. [illegible] वंशीधर [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible]

[illegible] 306/[illegible]

[illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

[illegible] /2012

प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है जिसमें भूमि शासकीय होने के नाते विचारण न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत अनाधिकृत आधिपत्य हटाने व 100/- अर्थदण्ड के आदेश दिए हैं जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों ने स्थिर रखा है । ऐसी स्थिति में जब भूमि शासकीय है तथा आवेदक का अतिक्रमण प्रमाणित है तब आवेदकों को कोई कोई अधिकार वैधानिक रूप से आलोच्य भूमि पर नहीं मिलता है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिनमें प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अतः यह निगरानी प्रारंभिक स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हो । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

(प्रशेन्द्र ...)